मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं
3. बोर्स्टल संस्थाओं की स्थापना
4. बोर्स्टल संस्था विधायी निकायों के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली है
5. इक्कीस वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष में निर्वासन या कठोर कारावास के बदले बोर्स्टल संस्था में निरोध का दण्डादेश पारित करने की न्यायालय की शक्ति
6. प्रतिभूति देने में असफलता के लिए कारावास के बदले निरोध
7. जिला मजिस्ट्रेट की विशेष शक्ति
8. कब धारा 7 के अधीन कार्यवाही नही की जा सकेगी
9. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय परिसीमा अधिनियम. 1963 का लागू होना और अपील तथा पुनरीक्षण के लिए नियम
10. कोई व्यक्ति जो एक बार निरूद्ध किया जा चुका है पुन: निरूद्ध नहीं किया जाये
11. प्रतिभूति प्रस्तुत कर देने पर निर्मुक्ति
12. निरोध का आदेश पारित करने के पूर्व अपराधी की आयु सम्बन्धी जांच किया जाना
13. निरोध का आदेश करने के पूर्व मजिस्ट्रेट का अपनी राय के आधारों का दिया जाना
14. अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्त करने की शक्ति
15. अनुज्ञप्ति के अधीन की गैर-हाजिरी को निरोध की कालावधि में गिना जाना
16. अनुज्ञप्ति के प्ररूप
17. अनुज्ञप्तियों का निलम्बन और प्रतिसंहरण
18. भाग जाने के लिए शाक्ति
19. अशोध्य अन्त:वासी
20. अधिकारी नियुक्ति अन्तःवासियों का लोक सेवक होना
21. अन्तःवासियों की बहिर्वर्ती अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन
22. बोर्स्टल संस्थाओं में या से प्रतिषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश या हटाये जाने के लिए शास्ति और अन्तःवासियों से पत्र-व्यवहार
23. धारा 22 के अधीन के अपराधों के लिये गिरफ्तार करने की शक्ति
24. शाक्तियों का प्रकाशन
25. उनकी अभिरक्षा में सम्यक् रूप से सुपुर्द किये गये व्यक्तियों को बोर्स्टल संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा निरूद्ध किया जाना
26. बोर्स्टल संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेशों इत्यादि को निष्पादन या उन्मोचन के पश्चात् वापस करना

27. कतिपय न्यायालयों के आदेशों का प्रभाव देने की बोर्स्टल संस्था के प्रभारी अधिकारी की शक्ति

27-क. राज्य सरकार की शक्तियाँ

28. ऐसे न्यायालयों अधिकारियों के वारण्ट का प्राधिकार होना
29. प्रक्रिया जहां बोर्स्टल संस्था का प्रभारी अधिकारी निष्पादन के लिए उसे भेजे गए आदेश की वैधता पर संदेह करता
30. पागल अन्तःवासियों का क्या किया जायेगा
31. बोर्स्टल संस्थाओं को कारागार अधिनियम, 1894, और बन्दियों की (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955 के कतिपय उपबंधों का लागू होना
32. विलुप्त
33. नियम बनाने की शक्ति
34. आयु सीमाओं में फेरफार करने और अधिनियम को स्त्रियों को लागू करने की सरकार की शक्ति-
35. {विलुप्त}
36. {विलुप्त}

मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928

मध्य प्रदेश में बोर्स्टल संस्थाओं की स्थापना और विनियम के लिये तथा उनमें कुमार अपराधियों के निरोध और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करने को अधिनियम ।

प्रस्तावना- अतः मध्यप्रदेश में बोर्स्टल संस्थाओं की स्थापना और विनियमन के लिए तथा उनमें कुमार अपराधियों के निरोध और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करना समीचीन है ।

और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 80ए की उपधारा (3) के अधीन इस अधिनियम को पारित किए जाने की गवर्नर जनरल की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त हो चुकी है ।

अत: यह निम्नलिखित रूप में एतदद्वारा अधिनियमित किया जाता है ।

धारा 1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार और प्रवर्तन सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर (और में) होगा ।

धारा 2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो-

(1) **"बोर्स्टल संस्था"** से अभिप्रेत है कोई स्थान जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराधी निरूद्ध किए जा सकेंगे और ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण और अन्य अनुदेश दिए जा सकेंगे और ऐसे अनुशासनिक और नैतिक असर के अध्यधीन रखे जा सकेंगे जैसा उनमें सुधार के साधक होने को आवश्यक हो ।

(2) **"निरूद्ध"** से अभिप्रेत है, बोर्स्टल संस्था में, निरूद्ध और "निरोध" से अभिप्रेत है, में निरोध ।

(3) **'अन्त:वासी'** से अभिप्रेत है, निरूद्ध किए जाने को आदेशित कोई व्यक्ति ।

(4) **"अपराध"** से अभिप्रेत है-

(एक) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन निर्वासन या कठोर कारावास से दण्डनीय कोई अपराध, निम्न के सिवाय-

(क) मृत्यु से दण्डनीय कोई अपराध;

(ख) उक्त संहिता के अध्याय पांच-क, अध्याय छ: या धारा 15- क के अधीन दण्डनीय अपराध;

(ग) राजनीतिक गतिविधियों के अनुसरण में कारित कोई अपराध;

(दो) सार्वजनिक घूत अधिनियम, 1867 के अधीन कारावास से दण्डनीय अपराध;

(तीन) अफीम अधिनियम, 1878 के अधीन कारावास से दण्डनीय अपराध;

(चार) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध;

(पांच) अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 के अधीन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध ।

(5) **"अधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, नियुक्त बोर्स्टल संस्था का अधिकारी ।

(6) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित ।

(7) **"सद्व्यवहार के लिए प्रतिभूति"** से अभिप्रेत है, राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त सद्व्यवहार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के अधीन प्रतिभूति ।

(8) **"अधीक्षक"** से अभिप्रेत है, ऐसी रीति में नियुक्त जैसी विहित की जाए, बोर्स्टल संस्था का अधीक्षक ।

धारा 3. बोर्स्टल संस्थाओं की स्थापना- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार एक या अधिक बोर्स्टल संस्थायें स्थापित कर सकेंगी ।

(2) प्रत्येक बोर्स्टल संस्था के लिए राज्य सरकार एक अधीक्षक और ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त करेगी जैसे आवश्यक हो सके ।

(3) प्रत्येक बोर्स्टल संस्था के लिए एक परिदर्शक समिति, ऐसी रीति में नियुक्त की जाएगी जैसी विहित की जाए, और उसमें पांच से अन्यून सदस्य होंगे ।

धारा 4. बोर्स्टल संस्था विधायी निकायों के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली है- बोर्स्टल संस्था, राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा या राज्य या उसके किसी भाग के प्रतिनिधित्व के लिए चुने गये लोकसभा सदस्य द्वारा, ऐसे समयों के बीच जैसे राज्य सरकार द्वारा नियत किए जा सके निरीक्षक, के दायित्वाधीन होगी ।

धारा 5. इक्कीस वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष में निर्वासन या कठोर कारावास के बदले बोर्स्टल संस्था में निरोध का दण्डादेश पारित करने की न्यायालय की शक्ति- जब सोलह वर्ष से अन्यून और इक्कीस वर्षो से अनधिक आयु का पुरूष व्यक्ति, सत्र न्यायालय या दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा द्वारा विशेषतया सशक्त मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष किया जाता है, और जब उसकी आपराधिक आदतों, प्रवृत्तियों या दुश्चरित्र द्वारा सिद्धदोष किया जाता है, और जब उसकी आपराधिक आदतों, प्रवृत्तियों या दुश्चरित्र व्यक्तियों की संगति के कारण, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की राय में समीचीन हो कि उसे निरूद्ध किया जाना चाहिए, ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट निर्वासन या कारावास का दण्डादेश पारित करने के बदले, जब आदेश सत्र न्यायालय या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 33 के अधीन विशेषतया सशक्त मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया हो, दो वर्ष से अन्यून और पाँच वर्ष से अनधिक, तथा जब आदेश इस प्रकार सशक्त न होने वाले प्रथम वर्ष के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित हो, दो वर्ष से अन्यून और तीन वर्ष से अनधिक की अवधि का आदेश पारित कर सकेगा ।

(2) जब, ऐसा आदेश पारित करने का संशक्त न होने वाला कोई मजिस्ट्रेट इस राय का हो कि उसके द्वारा सिद्धदोष अपराधी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बाबत् उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिये, वह कोई दण्डादेश पारित किये बिना राय अभिलिखित करेगा और उसकी कार्यवाहियों में शामिल करेगा तथा अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, जिसका वह अधीनस्थ है । अग्रेषित करेगा ।

(3) जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट जिसे कि कार्यवाहियाँ इस प्रकार पेश की गई हो, ऐसी आगामी जांच कर सकेगा (यदि कोई हो) जैसी वह उचित समझे, तथा अपराधी के निरोध के लिए ऐसा आदेश या ऐसा अन्य दण्डादेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह सब कर सकता यदि उसका विचारण उसके प्रारम्भ से ही उसके द्वारा आयोजित हुआ होता ।

धारा 6. प्रतिभूति देने में असफलता के लिए कारावास के बदले निरोध- (1) जब सोलह वर्ष से अन्यून और इक्कीस वर्ष से अनधिक की आयु का कोई पुरूष व्यक्ति सदाचार के लिये प्रतिभूति देने को आदेशित किया गया हो और ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है और जब उसकी आपराधिक आदतों या प्रवृत्तियों या दुश्चरित्र लोगों की संगति के कारण, मजिस्ट्रेट की राय में यह समीचीन हो कि उसे निरूद्ध किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट यह निदेशित करते हुए, कि ऐसा व्यक्ति सत्र न्यायाधीश के आदेश के लम्बित रहने तक, कारागार में निरूद्ध किया जाए, वारण्ट जारी कर सकेगा; और कार्यवाहियां यथा सम्भव शीघ्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखी जायेंगी ।

(2) सत्र न्यायाधीश, ऐसी कार्यवाहियों का परीक्षण करने और मजिस्ट्रेट से कोई और जानकारी अपेक्षित करने या साक्ष्य लेने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, दो वर्षो से कम और तीन वर्षो से अधिक न होने वाली अवधि के लिए निरोध का आदेश या ऐसा अन्य आदेश जो वह उचित समझे और जो विधि के अनुसार हो; पारित कर सकेगा ।

(3) यदि उसकी कार्यवाही के अनुकम में दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति अग्रेषित की गई थी, जिनमें से किसी एक की बाबत कार्यवाहियाँ उपधारा (1) के अधीन सत्र न्यायाधीश को निर्दिष्ट की गई हों, ऐसा निर्देश में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति का मामला भी सम्मिलित हो, और उपधाराओं (1) और (2) के उपबन्ध, उस दशा में, ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में भी लागू होंगे ।

धारा 7. जिला मजिस्ट्रेट की विशेष शक्ति- (1) जब सोलह वर्ष से कम और इक्कीस वर्ष से अधिक की आयु का न होने वाला कोई पुरूष व्यक्ति, किसी अपराध के लिये कठोर कारावास या निर्वासन से दण्डादिष्ट किया गया हो और ऐसे व्यक्ति की आपराधिक आदतों या प्रवृतियों या दुश्चरित्र लोगों की संगति के कारण, जिला मजिस्ट्रेट की राय में यह समीचीन हो कि उसे निरूद्ध किया जाना चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति कारावास या निर्वासन भुगतने के बदले में दो वर्षो की कालावधि के या यदि उसके निर्वासन या कारावास के दण्ड की अनवसित कालावधि दो वर्षो से अधिक हो, अनवसित अवधि के बराबर की कालावधि के लिए निरूद्ध किया जायेगा:

परन्तु निरोध की कालावधि किसी भी दशा में पांच वर्षो से अधिक नहीं होगी ।

(2) जब सोलह से कम और इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का न होने वाला पुरूष व्यक्ति सदाचार की प्रतिभूति देने के लिए आदेशित किया गया हो और ऐसी प्रतिभूति में असफल होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन कारावसित हो, और ऐसे व्यक्ति की आपराधिक आदतों या प्रवृत्तियों या दुश्चरित्र व्यक्तियों की संगत को कारण, जिला मजिस्ट्रेट की राय में यह समीचीन हो कि उसे निरूद्ध किया जाना चाहिए, तो जिला मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकेगा कि उसके मामले की कार्यवाहियां सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखी जायेंगी और धारा 6 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि कार्यवाहियाँ उस धारा के अधीन निर्दिष्ट की गई है ।

धारा 8. कब धारा 7 के अधीन कार्यवाही नही की जा सकेगी- धारा 7 के उपबन्धों के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा- (एक) जब तक कि बन्दी को उपसंजात होने की विधि द्वारा अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो गया हो यदि अपील प्रस्तुत की गई हो, जब तक कि ऐसी अपील का अंतिम रूप से विनिश्चय न हो चुका हो;

(दो) यदि अपील में या अन्यथा दण्डादेश को निरोध में सम्परिवर्तित करने का आवेदन अपील

न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो;

(तीन) किसी व्यक्ति के मामले जो सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 के उपबन्धों के अनुसार सुधार विद्यालय को भेज दिया गया हो ।

धारा 9. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय परिसीमा अधिनियम. 1963 का लागू होना और अपील तथा पुनरीक्षण के लिए नियम- (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अपील, निर्देश और पुनरीक्षण से सम्बन्धित उपबन्ध और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद, धारा 5 अधीन पारित निरोध के आदेश के मामले में लागू होंगे, मानों कि आदेश उतनी ही कालावधि के लिए, जितनी के लिए निरोध आदेशित था, कारावास का दण्डादेश था ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 283 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जब कोई व्यक्ति जो उसके अपराध का सिद्धदोष होते समय इक्कीस वर्ष से कम आयु का था या जब ऐसा व्यक्ति सदाचार के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने का आदेशित किया गया हो, ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असफल हो गया हो, अपील न्यायालय या उच्च न्यायीलय उसका पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपधारा (1) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसरण में और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, कारावास का दण्डादेश या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 के अधीन कारागार भेजने का आदेश, निरूद्ध किये जाने के आदेश से संपरिवर्तित कर सकेगा, यदि धारा 5 की उपधारा (1) में वर्णित कारणों से वह ऐसा संपरिवर्तन करना समीचीन समझता है, तथा निरूद्ध किए जाने के आदेश की कारावास के दण्डादेश में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 के अधीन, कारावास को भेजे जाने के आदेश में संपरिवर्तित कर सकेगा ।

परन्तु कारावास का दण्डादेश, भेजे जाने का आदेश या निरोध का आदेश विचारण मजिस्ट्रेट या न्यायालय की शक्तियों के आधिक्य में नहीं होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उस कारावास की अवधि, जिसके लिए कि वह दण्डादिष्ट किया गया था यदि वह आदेश पारित न हुआ होता, के अवसान के पश्चात् अवसित होने वाली कालावधि के लिए बोर्स्टल संस्था में निरूद्ध किए जाने की आदेशित किया गया हो, उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सत्र न्यायाधीश को अपील कर सकेगा और सत्र न्यायाधीश या तो आदेश को पुष्ट कर सकेगा या उसे (अपास्त) करते हुए कारावास के दण्डादेश को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या यदि आदेश दो वर्षो से अधिक के लिए हो तो उसे दो वर्ष से कम न होने वाली और न ही कारावास के, जिसके लिए अपराधी दण्डादिष्ट किया गया था, अवशेष से कम न होने वाली अवधि तक घटा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन सत्र न्यायाधीश द्वारा ऐसी कालावधि के लिए जिसका अवसान, कारावास की अवधि के अवसान के पश्चात् होता हो जिसके लिए वह दण्डादिष्ट किया गया था, यदि वह आदेश पारित न हुआ होता, निरूद्ध किए जाने को आदेशित कोई व्यक्ति उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, आदेश से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और उच्च न्यायालय कोई ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो सत्र न्यायाधीश पारित कर सकता था ।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन दोषसिद्धि या तथ्य के निष्कर्ष के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकेगी अपितु केवल इस आधार पर की जा सकेगी कि आक्षेपित आदेश अवैध है

या असम्यक् रूप से कठोर है ।

धारा 10. कोई व्यक्ति जो एक बार निरूद्ध किया जा चुका है पुन: निरूद्ध नहीं किया जाये- कोई व्यक्ति जो पूर्व में निरोध के एक आदेश में विहित सम्पूर्ण कालावधि के लिए निरूद्ध किया जा चुका हो या जो इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन जेल को अन्तरित हुआ हो, पुन: निरूद्ध किए जाने को आदेशित नहीं किया जायेगा ।

धारा 11. प्रतिभूति प्रस्तुत कर देने पर निर्मुक्ति- प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकने में असफलता के लिए निरूद्ध कोई व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत कर देने पर निर्मुक्त कर दिए जायेंगे ।

धारा 12. निरोध का आदेश पारित करने के पूर्व अपराधी की आयु सम्बन्धी जांच किया जाना- (1) इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश पारित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, अपराधी की आयु के प्रश्न पर जांच करेगा या जांच करवायेगा और ऐसी साक्ष्य लेने के पश्चात् (यदि कोई हो), जैसी आवश्यक या उचित समझी जा सकें, उस पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश पारित करने को सशक्त न होने वाला प्रत्येक मजिस्ट्रेट, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसकी कार्यवाहियाँ और अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किए जाने के पूर्व, इसी प्रकार की जांच करेगा और निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

धारा 13. निरोध का आदेश करने के पूर्व मजिस्ट्रेट का अपनी राय के आधारों का दिया जाना- जब मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, या न्यायालय अपराधी को निरूद्ध किए जाने का आदेश देता है वह यथा-स्थिति, वह अपनी उस राय के, कि अपराधी को निरूद्ध किया जाना समीचीन है, आधार अभिलिखित करेगा ।

(2) धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 6 या धारा 7 के अधीन निरोध का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि निरूद्ध किए जाने वाले व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा ऐसा आदेश किए जाने के विरूद्ध हेतु के दर्शित करने का एक अवसर न दिया गया हो ।

धारा 14. अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्त करने की शक्ति- राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, परिदर्शक समिति कारागारों के यहां निरीक्षक की मंजूरी से, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निरूद्ध किए जाने को आदेशित अन्तःवासी की दशा में निरोध के पश्चात् एक वर्ष का, अन्य किसी दशा में निरोध के दो वर्षो के अवसान होने पर किसी समय, यदि संतुष्ट हो जाये कि अन्त:वासी सम्भवत: अपराध करने से प्रविरत रहेगा और उपयोगी तथा औद्योगिक जीवन बितायेगा, उसे पर बोर्स्टल संस्था से इस शर्त पर (उन्मोचित) कर सकेगी कि वह किसी व्यक्ति या धर्म निरेपक्ष संस्था या धार्मिक सोसायटी (जो उसी धर्म की हो, जिसका अन्तःवासी है) जो अनुज्ञप्ति में नामित हो, और उसका प्रभार ले सकने की इच्छुक हो सके, के पर्यवेक्षण या प्राधिकारी के अधीन रखा जायेगा, इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति इस अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, जिसके लिए कि अन्त:वासी को निरूद्ध किये जाने के लिए आदेशित किया गया था, उसका

अवसान न हो और जब तक कि पूर्व में ही निलम्बित, प्रतिसंहृत या अधिकृत न हो गई हो ।

धारा 15. अनुज्ञप्ति के अधीन की गैर-हाजिरी को निरोध की कालावधि में गिना जाना- वह समय जिसके दौरान अन्तःवासी बोर्स्टल संस्था से अनुज्ञप्ति के अधीन गैर-हाजिर रहा हो निरोध की कालावधि के भाग के रूप में संगठित किया जायेगा ।

धारा 16. अनुज्ञप्ति के प्ररूप- धारा 14 के उपबन्धों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होंगी और उसमे ऐसी शर्त होगी जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

धारा 17. अनुज्ञप्तियों का निलम्बन और प्रतिसंहरण- राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 14 के अधीन अनुदत्त तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए अधीक्षक द्वारा निलम्बित की जा सकेगी या कारागारों के महानिरीक्षक की सिफारिश पर परिदर्शक समिति द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी । जब किसी अन्तःवासी की अनुज्ञप्ति निलम्बित या प्रतिसंहृत की जावे तो वह बोर्स्टल संस्था को लौट आयेगा और यदि वह वैसा करने में असफल रहता है, वह वारंट के बिना गिरफ्तार किया और संस्था को लाया जा सकेगा ।

धारा 18. भाग जाने के लिए शाक्ति- (1) यदि कोई अन्त:वासी उसके निरोध को आदेशित की गई कालावधि के अवसान के पूर्व बोर्स्टल संस्था से निकल भागता है या यदि बोरर्तल संस्था से अनुज्ञप्ति पर गैर-हाजिर कोई अन्त:वासी सरकार के किसी सेवक या किसी (धर्म निरपेक्ष) संस्था या व्यक्ति या धार्मिक सोसायटी के प्राधिकार या पर्यवेक्षण से निकल भागता है जिसके प्रभार में वह रखा गया था या उसकी अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहरण पर बोर्स्टल संस्था में लौटाने में असफल रहता है, मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने पर दो वर्ष की अवधि तक के किसी भांति के हो सकने वाले कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा अथवा निरोध के अविशिष्ट भाग के अतिरिक्त दो वर्षो तक की हो सकने वाली अवधि को निरूद्ध किए जाने को आदेशित किया जा सकेगा और उसकी अनुज्ञप्ति निकल भागने या लौटाने में असफल रहने की यथा-स्थिति तारीख से अधिहृत की जायेगी ।

(2) इस धारा के अधीन का कोई अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उस निर्बन्धन की परिभाषा के अर्थो में संज्ञेय अपराध समझा जायेगा ।

धारा 19. अशोध्य अन्त:वासी- जब परिदर्शक समिति द्वारा किसी अन्तःवासी की अशोध्य होने पर या संस्था के अन्य अन्तःवासियों पर बुरा असर डालने की या इस अधिनियम की धारा 18 या धारा 22 के अधीन कारावास के दण्डादेश की, रिपोर्ट अथवा अधीक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 33 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा मुख्य बोर्स्टल अपराध होना घोषित किया गया कोई अपराध कारित किए जाने की रिपोर्ट, राज्य सरकार को की जाती है तो राज्य सरकार निरोध की अवशिष्ट भाग, का ऐसा अवशेष से अनधिक किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास में न्यूनीकरण कर सकेगी, जैसा सरकार निर्देश दे सके, और कारावास की उक्त अवधि को पूरा करने की राज्य में के किसी जेल में अन्तःवासी को अन्तरित करने का आदेश दे सकेगी ।

धारा 20. अधिकारी नियुक्ति अन्तःवासियों का लोक सेवक होना- वे अन्तःवासी जो अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उस निर्बन्धन की भारतीय दण्ड संहिता में दी गई परिभाषा के अर्थो में लोक सेवक समझे जायेंगे ।

धारा 21. अन्तःवासियों की बहिर्वर्ती अभिरक्षा, नियंत्रण और नियोजन- कोई अन्त:वासी जब वह बोर्स्टल संस्था में या से जहां उसे विधिपूर्वक निरूद्ध किया जा सके, ले जाया जा रहा हो या जब कभी वह बाहर कार्यरत हो या वह अन्यथा ऐसी किसी बोर्स्टल संस्था की सीमाओं के परे हो, और बोर्स्टल संस्था के होने वाले अधिकारी की विधिपूर्ण अभिरक्षा या नियन्त्रण में या के अधीन हो, निरोध के अधीन हुआ समझा जायेगा और उन सभी घटना-क्रमों के अध्यधीन होगा, मानों कि वह वास्तव में बोर्स्टल संस्था में हो ।

धारा 22. बोर्स्टल संस्थाओं में या से प्रतिषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश या हटाये जाने के लिए शास्ति और अन्तःवासियों से पत्र-व्यवहार- जो कोई धारा 33 के अधीन के किसी नियम के प्रतिकूल कोई प्रतिषिद्ध वस्तु किसी बोर्स्टल संस्था में या से प्रवेश कराता है या हटाता है या चाहे किसी साधन द्वारा प्रवेश कराने या हटाने का प्रयत्न करता है अथवा ऐसे संस्था के बाहर किसी अन्त:वासी को प्रदान करने का प्रयत्न करता है और बोर्स्टल संस्था का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसे किसी नियम के प्रतिकूल ऐसी किसी वस्तु को जानते हुए-
किसी अन्तःवासी के कब्जे में होने की किसी बोर्स्टल संस्था में या से प्रवेश होना या हटाना या को बोर्स्टल संस्था की परिसीमा के बाहर प्रदाय किसी अन्त:वासी को होने देना सहन करता है, और जो कोई, ऐसे किसी नियम के प्रतिकूल, किसी अन्त:वासी से पत्र-व्यवहार करता है या पत्र-व्यवहार का प्रयत्न करता है
और जो कोई इस धारा द्वारा दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्ध दोष होने पर, किसी भांति के छ: मास से अनधिक की अवधि के हो सकने वाले कारावास से या दो सौ रूपयों तक के हो सकने वाले जुर्माने या दोनों के दायित्वाधीन होगा ।

धारा 23. धारा 22 के अधीन के अपराधों के लिये गिरफ्तार करने की शक्ति- जब कोई व्यक्ति, बोर्स्टल संस्था के किसी अधिकारी की उपस्थिति में. धारा 22 में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करता है और ऐसे अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर अपना नाम और निवास कथित करने से इंकार करता है या ऐसा नाम और निवास का पता देता है, जिसका असत्य होना ऐसा अधिकारी जानता है या वैसा विश्वास करने का कारण रखता है, ऐसा अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा और बिना अनावश्यक विलम्ब के उसे पुलिस अधिकारी को सौंप देगा और तत्पश्चात् पुलिस अधिकारी इस प्रकार अग्रसर होगा, माना अपराध उसकी उपस्थिति में कारित हुआ था ।

धारा 24. शाक्तियों का प्रकाशन- अधीक्षक बोर्स्टल संस्था के बाहर, धारा 22 के अधीन प्रतिषिद्ध कार्यो और उनके कारित किए जाने से उपगत शास्तियाँ देते हुए, सहजगोचर स्थान पर अंग्रेजी और हिन्दी में एक नोटिस चिपकायेगा ।

धारा 25. उनकी अभिरक्षा में सम्यक् रूप से सुपुर्द किये गये व्यक्तियों को बोर्स्टल संस्था के

प्रभारी अधिकारी द्वारा निरूद्ध किया जाना- बोर्स्टल संस्था का प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसकी अभिरक्षा के लिये सम्यक् रूप से सुपुर्द किये गये किसी व्यक्ति को आदेश में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति सुपुर्द किया गया है, प्राप्त करेगा और निरूद्ध करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विधि के सम्यक् में उन्युक्त न किया गया हो या हटाया न गया हो ।

धारा 26. बोर्स्टल संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेशों इत्यादि को निष्पादन या उन्मोचन के पश्चात् वापस करना- बोर्स्टल संस्था का प्रभारी अधिकारी, यथापूर्वोक्त प्रत्येक ऐसे आदेश को निष्पादन के पश्चात् या उसके द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति के उन्मोचन के पश्चात्, तत्काल, यह दर्शित करते हुए कि वह किसी प्रकार निष्पादित किया गया था कि उसके सुपुर्द किया गया व्यक्ति उसके निष्पादन से पूर्व निरोध से क्यों उन्मुक्त कर दिया गया उसके द्वारा हस्ताक्षरित और उस पर पृष्ठांकित एक प्रमाणपत्र के साथ, मजिस्ट्रेट, या न्यायालय जिसके द्वारा वह किया गया था या जारी किया गया था ।

धारा 27. कतिपय न्यायालयों के आदेशों का प्रभाव देने की बोर्स्टल संस्था के प्रभारी अधिकारी की शक्ति- बोर्स्टल संस्था का प्रभारी अधिकारी किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित जारी किए गए किसी आदेश को प्रभाव देगा ।

धारा 27-क. राज्य सरकार की शक्तियाँ- (1) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निरूद्ध किए जाने को आदेशित किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में, उस राज्य की सरकार की सहमति से, किसी बोर्स्टल संस्था या स्कूल से हटाने को उपबन्ध कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार इसी भांति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी अन्य राज्य में बोर्स्टल संस्था स्कूल से किसी व्यक्ति को बोर्स्टल संस्था में निरूद्ध करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्ध उपधारा (2) या धारा 27 के उपबंधों के अनुसार निरूद्ध किसी व्यक्ति को लागू होंगे ।

धारा 28. ऐसे न्यायालयों अधिकारियों के वारण्ट का प्राधिकार होना- धारा 27 में यथानिर्दिष्ट ऐसे न्यायालय या अधिकरण की सील के अधीन और उसके अधिकारी के पदीय हस्ताक्षरों के अधीन का आदेश किसी व्यक्ति को, उस पर पारित आदेश के अनुसरण में, निरूद्ध किए जाने को पर्याप्त प्राधिकार होगा ।

धारा 29. प्रक्रिया जहां बोर्स्टल संस्था का प्रभारी अधिकारी निष्पादन के लिए उसे भेजे गए आदेश की वैधता पर संदेह करता है- (1) जहां बोर्स्टल संस्था का प्रभारी अधिकारी उसे निष्पादन के लिए भेजे गए आदेश की वैधता या उस व्यक्ति की आदेश पारित करने की सक्षमता, जिसकी पदमुद्रा और हस्ताक्षर उस पर हों, पर संदेह करता है, वह उस विषय को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा, मामले पर जिसके आदेश द्वारा वह और अन्य लोक अधिकारी अन्तःवासियों के भावी निपटारे के लिए मार्गदर्शित होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश के लम्बन तक, अन्त:वासी आदेश के अनुसार

निरूद्ध किया जायेगा ।

धारा 30. पागल अन्तःवासियों का क्या किया जायेगा- (1) जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी आदेश के अधीन निरूद्ध कोई व्यक्ति विकृतचित्त का है तो राज्य सरकार उसे राज्य के भीतर किसी पागलखाने को या उस अवधि के शेष भाग के दौरान जिसके लिए वह निरूद्ध रखे जाने को आदेशित किया गया था, या उस अवधि के अवसान पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अन्त:वासी की या अन्यों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सकीय देखरेख उपचार में और निरूद्ध किया जाना चाहिये, तो जब तक कि वह विधि के अनुसार उन्मुक्त नहीं होता, सुरक्षित अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान को, वहाँ रखे जाने और उपचार किए जाने को, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, हटाने का आदेश दे सकेगी ।

(2) जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि इस प्रकार रखा गया और उपचारित किया गया कोई अन्त:वासी स्वस्थचित्त का हो गया है, जो राज्य सरकार अन्तःवासी का प्रभार रखने वाले व्यक्ति को वारंट द्वारा यदि वह अब भी निरूद्ध किए जाने का दायी हो, उसे उस बोर्स्टल संस्था को, जहा से वह हटाया गया था या राज्य के भीतर किसी अन्य बोर्स्टल संस्था को प्रतिप्रेषित करने का निदेश देगी या यदि वह अब निरूद्ध किए जाने का दायी न हो तो उसे उम्मुत्ता किए जाने का आदेश देगी ।

(3) भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 31 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन पागलखाने में परिरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति पर उस अवधि के अवसान के बाद लागू होंगे, जिसके लिए वह निरूद्ध किए जाने को आदेशित किया गया था; और वह समय जिसके दौरान कि अन्त:वासी उपधारा (1) के अधीन पागलखाने में परिरूद्ध रहा है, निरोध की अवधि के भाग के रूप में संगणित किया जाएगा जिसे भुगतने के लिए वह आदेशित किया गया था ।

(4) किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार अन्तःवासी को राज्य के भीतर किसी पागलखाने को या सुरक्षित अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान को हटाने में सक्षम है, तो राज्य सरकार ऐसे अन्य राज्य की राज्य सरकार से करार द्वारा किसी अन्य राज्य के भीतर पागलखाने या स्थान के लिए हटाने का आदेश दे सकेगी, और उपधारा (1) के अधीन हटाये गये अन्तःवासी की अभिरक्षा, प्रतिप्रेषण और उन्मोचन से सम्बन्धित इस धारा के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सके, इस उपधारा के अधीन हटाये गए अन्तःवासी को लागू होंगे ।

धारा 31. बोर्स्टल संस्थाओं को कारागार अधिनियम, 1894, और बन्दियों की (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955 के कतिपय उपबंधों का लागू होना- इस अधिनियम की धारा 33 के खण्ड (13) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कारागार अधिनियम, 1894(1894 का 9) के अध्याय ग्यारह और धारा 12 के उपबन्ध तथा बन्दियों की (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955(1955 का 32) के उपबन्ध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्स्टल संस्था को लागू होंगे और कारागार अधिनियम, 1894(1894 का 9) के अध्याय ग्यारह और धारा 12 में और बन्दियों की (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955(1955 का 32) के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियम में बन्दी, कारागार, कारावास या परिरोध के प्रतिनिर्देश का अर्थ अन्तःवासी बोर्स्टल संस्था और निरोध के निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

धारा 32. विलुप्त

धारा 33. नियम बनाने की शक्ति- राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम से

संगत नियम बना सकेगी-

(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्स्टल संस्थाओं के विनियमन, प्रबन्धन और वर्गीकरण और बोर्डो, सेलों और निरोध के अन्य स्थानों के विवरण और निर्माण के लिए;

(2) संस्थाओं के प्रत्येक वर्ग में निरूद्ध किये जाने वाले अन्तःवासियों के संख्या द्वारा या अन्यथा विनियमन के लिए;

(3) कारागार महानिरीक्षक की शक्तियाँ और कर्त्तव्य परिभाषित करने को;

(4) बोर्स्टल संस्थाओं के शासन और अधीक्षक तथा बोर्स्टल संस्था में नियोजित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, मार्ग दर्शन, नियन्त्रण, दण्ड और पदच्युति के लिए तथा उनके ऊपर दायित्व कर्त्तव्य, अनर्हतायें और शक्तियों को परिभाषित करने के लिए;

(5) अभिलेखों के अनुरक्षण और रिपोर्टो की तैयारी और प्रस्तुती के लिए;

(6) अन्तःवासियों की अन्तःवासी अधिकारियों के रूप में चुनाव और नियुक्ति तथा उनके दण्ड, पदावनति और पदच्युति के लिये एवं ऐसे अधिकारियों के कर्त्तव्य और शक्तियां परिभाषित करने के लिये;

(7) जब तक कि उनके बोर्स्टल संस्था में प्रवेश की व्यवस्था की जाती है, अन्तःवासियों के अस्थायी निरोध के लिए;

(8) अन्तःवासियों के प्रवेश, हटाए जाने और उनुक्त किए जाने के लिए और उनके निरोध के दौरान उनके प्रभावों के निपटारे के लिए;

(9) अन्तःवासियों के भोजन, वस्त्र और बिस्तरों के लिये;

(10) अन्त-वासियों की अभिरक्षा, अनुशासन, श्रेणीकरण, उपचार शिक्षा, प्रशिक्षण और नियन्त्रण के लिए;

(11) अन्तःवासियों के नियोजन तथा उनके श्रम के आगामों के व्ययन के लिए;

(12) रूग्ण अन्तःवासियों के उपचार के लिये;

(13) कार्यो को परिभाषित करने के लिये, जिनसे बोर्स्टल संस्था अपराध गठित होगा;

(14) बोर्स्टल संस्था अपराधों के मुख्य और गौण अपराधों में वर्गीकरण के अवधारण के लिये;

(15) इस अधिनियम के अधीन दिये जा सकने वाले दण्डों को नियत करने के लिये जो बोर्स्टल संस्था अपराधों या उनके वर्गो के कारित किए जाने पर अधिनिर्णीत किए जायेंगे;

(16) उन परिस्थतियों की घोषणा करने के लिए जिनमें बोर्स्टल संस्था अपराध और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध दोनों का गठित हो, बोर्स्टल संस्था अपराध के रूप में बरता जाएगा;

(17) अंकों के दिये जाने और निरोध की कालावधि को कम करने के लिये;

(18) किसी अन्तःवासी या अन्तःवासियों के शरीर के विरूद्ध आयुधों का प्रयोग और झगड़े या भागने के प्रयत्न की दशा में बेड़ियों का प्रयोग;

(19) वे परिस्थितियां परिभाषित करने और शर्तो का विनियमन करने के लिए जिनके अधीन अन्त:वासी मृत्यु के खतरे में निर्मुक्त किये जा सकेंगे;

(20) जिस अन्त:वासी के निरोध की अवधि का अवसान होने वाला हो, उसके सम्पूर्ण भारत के एक भाग से दूसरे भाग को अन्तरण, को विनियमित करने के लिए;

(21) उन वस्तुओं को परिभाषित करने के लिए जिनका सम्यक् प्राधिकार के बिना बोर्स्टल संस्था में प्रवेश या हटाया जाना प्रतिषिद्ध है;

(22) सद् आचरण के लिए पुरस्कारों के लिये;

(23) अन्तःवासियों के एक बोर्स्टल संस्था से दूसरी में या चिकित्सालय में, या पागलखाने

और बोर्स्टल संस्था से कारागार से बोर्स्टल संस्था को अन्तरण के विनियिमन के लिये;

(24) बोर्स्टल संस्था में परिरूद्ध आपराधिक पागलों या प्रत्युद्धत आपराधिक पागलों के उपचार, अन्तरण और निपटारे के लिये;

(25) अन्तःवासियों से अपीलों और अर्जियों के पारेषण और उनके रिश्तेदारों और मित्रों से उनके पत्र व्यवहार के विनियमन के लिए;

(26) बोर्स्टल संस्थाओं के परिदर्शकों की नियुक्ति और मार्गदर्शन के लिये;

(27) वे शर्तें विहित करने के लिए, जिन पर कि अनुज्ञप्तियों अनुदत्त, निलम्बित प्रतिसंहृत या रद्द की जायेगी;

(28) पैरोल अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों और नियन्त्रण के लिए;

(29) परिदर्शक समितियों की शक्तियों और कर्त्तव्यों को परिभाषित करने के लिए;

(30) सामान्यतया इस अधिनियम से सुसंगत सभी प्रयोजनों के लिए ।

धारा 34. आयु सीमाओं में फेरफार करने और अधिनियम को स्त्रियों को लागू करने की सरकार की शक्ति- राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में उसके सेवा करने के आशय का तीन मास से अन्यून का वैसा नोटिस अधिसूचना द्वारा देने के पश्चात् अधिसूचना की भांति-

(1) निदेश दे सकेगी कि धारा 5, 6 और 7 के उपबन्ध, इक्कीस और तेईस वर्ष के बीच के, ऐसी आयु से ऊपर के व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे, जैसी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाये और ऐसे निदेश के हो जाने पर उक्त धाराओं, जब तक कि निदेश प्रवृत रहे, की यह प्रभाव होगा, मानो कि आयु "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दी गई थी;

(2) निदेश दे सकेगी कि धारा 5, 6 और 8 के उपबन्धों का विस्तार स्त्रियों पर भी होगा और ऐसे निदेश के अधिसूचित हो जाने पर उक्त धाराओं का जब तक कि निदेश प्रवृत रहे, यह प्रभाव होगा मानो "पुरूष" शब्द विलुप्त कर दिया गया था ।

धारा 35. {विलुप्त}

धारा 36. {विलुप्त}